<u>न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

<u>प्रकरण संख्या : 56 / 2022 **FSSA**</u>

1. सरकार जरिये डॉ मदन लाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा । — आवेदक—

<u>बनाम</u>

1. श्री अशोक कुमार पुत्र जलसिंह नोमिनी मैसर्स दाउजी मिल्क फूड प्रा. लिमिटेड टीकरी जाफरान, एनएच—21, आगरा रोड महवा जिला दौसा।

— अभियुक्त—

(जुर्म अन्तर्गत एफएसएस धारा 26की उपधारा 2(II) (V) एवं
दण्डनीय धारा 52 व 58 एफएसएस रूल्स 2006 व 2011)

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त बावजूद तामील अनुपस्थित।

<u>—: आदेश :—</u> दिनांकः— 14.06.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक डॉ मदन लाल गुर्जर खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहे है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन राजस्थान राजपत्र विशेषांक में दिनांक 26 जुलाई 2011 के गजट भाग2(क) के क्रमांक 53 पर अंकितानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिये अधिकृत किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा निदेशक(जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 2714 दिनांक 01.09.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी को कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.10.2022 को 04:10 PM पर मैसर्सः—दाउजी मिल्क फूड प्रा. लिमिटेड, टीकरी जाफरान, एनएच—21, आगरा रोड महवा जिला दौसा पर पहुँचा। वहां पर मौजूद विक्रेता श्री अशोक कुमार पुत्र जलसिंह को अपना परिचय देकर परिचय पूछने पर विक्रेता ने स्वयं को मैसर्सः—दाउजी मिल्क फूड प्रा. लिमि. टीकरी जाफरान एनएच—21, आगरा रोड महवा जिला दौसा का नोमिनी होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता की उपस्थिति में मैसर्सः—:—दाउजी मिल्क फूड प्रा. लिमि. टीकरी जाफरान एनएच—21, आगरा रोड महवा जिला दौसा का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु घी देशरत्न ब्राण्ड, राधा गोविन्द ब्राण्ड, देशरत्न दूध पाउडर व गाय के दूध से निर्मित बटर देशरत्न खाद्य पदार्थ निर्माण ईकाई में आम जनता को विक्रय करने हेतु निर्माण किया जा रहा था एवं तैयारशुदा सभी उपरोक्त खाद्य पदार्थ विक्रय हेतु रखे हुये थे। निर्माण ईकाई के कोल्ड स्टोर का निरीक्षण किया तो उसमें 950 कागज के गत्ते के कार्टून 20—20 किलोग्राम में से 1 कार्टून 20 किलोग्राम का चयन किया। जिसका खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा होने पर विक्रेता को फार्म 5 ए की सूचना देते हुये विक्रेता व गवाहान के फॉर्म 5 ए पर हस्ताक्षर करवाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये तथा फार्म 5 ए की एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताया कि यह गाय के दूध से निर्मित बटर देशरत्न **(Cow's Butter Deshratna Brand)** वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चयन किये गये 20 किलो कागज के गत्ते के कार्टून को नियमानुसार खोल कर उसमे से नियमानुसार 800 ग्राम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गाय के दूध से निर्मित बटर देशरत्न **(Cow's Butter Deshratna Brand)** को साफ सूखी चार प्लास्टिक की चौडे मूंह की शीशियों में भरकर तुलवाया एवं वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु खरीदा। जिसकी कीमत विक्रेता अशोक कुमार को उनके मांगे अनुसार बाजार भाव से 800 ग्राम बटर के 320/–रूपये (अक्षरे तीन सौ बीस रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ बटर देशरत्न **(Cow's Butter Deshratna Brand)** को विक्रेता एवं गवाहान को दिखाकर बराबर–बराबर अलग–अलग चार साफ व सूखी शीशियों(एक भाग 200 ग्राम) में भरवाकर ढक्कन लगाकर एयरटाईट बन्द किया तथा प्रत्येक शीशी को खाकी कागज में लपेटकर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारो नमूना भागों के लिये चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिये गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक एजी–3097 अंकित किया तथा प्रत्येक लेबल पर विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारो नमूना भागों को अलग–अलग एक खाकी कागज मे लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. दौसा की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नम्बर एजी–3097 को नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से उपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार करवाकर चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे विक्रेता ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर पुनः सील चपडी कर नियमानुसार तैयार किया। दो फार्म संख्या 6 की प्रतियां अलग से एक लिफाफे मे बन्द कर चपडी से सील मोहर कर नियमानुसार तैयार किये तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को नमूने का एक तैयारशुदा भाग व बन्द लिफाफा जमा करवाया शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को जमा करवाया। डी.ओ. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा ने श्री महादेव प्रसाद सैनी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कायार्लय **CM&HO** दौसा को भेजकर दिनांक 19.10.2022 को खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अलवर में तैयार शुदा नमूना व सम्बन्धित दस्तावेज जमा करवाये। नमूने के शेष दो भाग व चौथा भाग डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा को दिनांक 19.10.2022 को जमा करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को खाद्य विश्लेषक अलवर से उक्त खाद्य पदार्थ बटर देशरत्न **(Cow's Butter Deshratna Brand)** की जॉच रिपोर्ट संख्या एल. एस./793/एक्ट/2022/796 दिनांक 31.10.2022 प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ बटर देशरत्न **(Cow's Butter Deshratna Brand)** एफएसएसए की धारा **3(1)(zf)(C)(i)** का उल्लंघन करने के कारण मिथ्याछाप एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के विनियम **5(3), 5(4), 5(6), 5(7) of FSS (Labelling and Display Regulation 2020** के उल्लंघन के कारण कान्ट्रावेशन स्तर का पाया गया है। जो कि एफएसएसए की धारा 26 की उप धारा **2(II) (V)** का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना एफ.एस.एस.ए. की धारा 52 व 58 में निर्धारित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुआ। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस सुनी गई।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>प्रकरण संख्या : 56 / 2022 **FSSA**</u>

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 793 / एक्ट / 2022 / 796 दिनांक 31.10.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बटर देशरत्न **(Cow's Butter Deshratna Brand)** के लेबल पर खाद्य पदार्थ सम्बन्धित जानकारी जैसे **Ingredients, Nett. Qty, Green Symbol for Vegetarian food, Nutritional fact, Fssai Lic No.** अंकित नहीं होने के कारण धारा **3(1)(zf)(C)(i)** का उल्लंघन पाये जाने से मिथ्याछाप एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के विनियम **5(3), 5(4), 5(6), 5(7) of FSS (Labelling and Display Regulation 2020** का उल्लंघन होने के कारण कान्ट्रावेशन स्तर का पाया गया है। जो कि एफएसएसए की धारा 26 की उप धारा **2(II) (V)** का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना एफ.एस.एस. ए की धारा 52 व 58 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस. / 793 / एक्ट / 2022 / 796 दिनांक 31.10.2022 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ बटर देशरत्न **(Cow's Butter Deshratna Brand)** के लेबल पर खाद्य पदार्थ सम्बन्धित जानकारी अंकित नहीं होने के कारण नमूना मिसब्राण्ड पाया गया है। जो कि एफएसएसए की धारा 26 की उप धारा **2(II) (V)** का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना एफ.एस.एस. ए की धारा 52 व 58 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ बटर देशरत्न **(Cow's Butter Deshratna Brand)** मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री अशोक कुमार पुत्र जलसिंह नोमिनी मैसर्स दाउजी मिल्क फूड प्रा. लिमि. टीकरी जाफरान एनएच–21, आगरा रोड महवा जिला दौसा पर 25000 / – (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थीगण अभियुक्तगण उक्त राशि निर्णय दिनांक 14.06.2023 के एक माह के अन्दर–अन्दर निर्धारित मद में जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक / **FSSA/** दिनांकः– .06.2023

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री अशोक कुमार पुत्र जलसिंह नोमिनी मैसर्स दाउजी मिल्क फूड प्रा. लिमि. टीकरी जाफरान एनएच–21 आगरा रोड महवा जिला दौसा।

(सुरेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा